न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/47/2021

अपीलांट श्री सज्जनसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह
निवासी लीलरिया धोरा वार्ड नंबर 2 तहसील एवं जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 03.08.2021

अपीलार्थी श्री सज्जनसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह निवासी लीलरिया धोरा वार्ड नंबर 2 तहसील एवं जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 02.07.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 335962 दिनांक 25.05.2021 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा जवाब में प्रकट किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिपोर्ट अप्राप्त होने से दिया जाना संभव नहीं हो पाया तथा आयुक्त नगर परिषद से वांछित सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध करवा दी जायेगी। अतः प्रथम अपील दाखिल दफ्तर करवाने की कृपा करावें।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को नहीं दी है तथा आयुक्त नगर परिषद से रिपोर्ट प्राप्त होने पर दी जाने का कथन किया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थी के सूचना का अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को यथेचित रूप से निस्तारित नहीं किया गया है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वांछित सूचना उपलब्ध करवाते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण नियमानुसार शीघ्र किया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर